

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0
के मेन्युअल का बिन्दु क्रमांक – 12

अनुदान देने के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के तरीके,हितग्राहियों का विवरण तथा आवंटित **jkf'k** का विवरण

यद्यपि निगम द्वारा ऐसी कोई हितग्राही मूलक योजना संचालित नहीं की जाती है,जिसके तहत हितग्राहियों को अनुदान दिया जाता है,किन्तु फिर भी निगम द्वारा राजगढ़ एवं सागर जिले में लीड एवं लिंक समितियों का क्रेडिट पर खाद्यान्न दिए जाने पर माह जुलाई 05 से योजना प्रारम्भ की गई है,जिसके तहत खाद्यान्न उठाये जाने की तारीख से रा**f'k** जमा किए जाने तक की अवधि के लिए लीड एवं लिंक समितियों से 10 % वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाता है ।